

शासनादेश सं० _____

दिनांक _____

थर्ड पार्टी आडिट योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु विकल्प

1. प्रतिष्ठान/ इकाई का नाम
2. नियोक्ता का नाम
3. लागू अधिनियम
4. लागू अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण संख्या
5. श्रमिकों की संख्या
6. जोखिम मूल्यांकन के आधार पर श्रेणी
7. पिछले निरीक्षण का विवरण

मैं एतद्वारा यह बताने का वचन देता/देती हूँ कि मैं
..... का नियोक्ता हूँ और अपने प्रतिष्ठान के लिए थर्ड पार्टी आडिट योजना का विकल्प चुनना
चाहता/चाहती हूँ।

(हस्ताक्षर)

नियोजक/आकृपायर

**CHECK LIST FOR INSPECTION OF FACTORIES UNDER
THE FACTORIES ACT, 1948 AND RULES MADE THEREUNDER**

Basic Information of the Factory

- (i) Name and Address of factory :
(ii) Category of the factory (whether MAH/Hazardous/Non-hazardous) :
(iii) Main Products & Manufacturing process :
(iv) Name & Designation of Inspecting Officer/Officers with office address :
(v) Date & time of Present Inspection :
(vi) Date of Last Inspection :
(vii) Name and address (including email ID and Mobile no.) of :
(a) Occupier
(b) Manager
(c) Name & Designation of the person/In-charge available at the time of inspection

(viii)	Employment :	Men	Women	Young person	Total
	(a) Max. Number of persons employed on any day during the preceding twelve months with date.				
	(b) (i) Number of workers employed on the date of inspection (ii) number of workers present on the date of inspection.				

- (ix) Sanctioned load/power :
(x) Manufacturing process (with product name) :

Provision for all Factories (Non-Hazardous/Hazardous/MAH) (PART-I)

1. Registration :

- (i) Is the factory registered under section-6 of the Factories Act. (Rule-6 to 14-D)
(ii) If Yes, whether :
(a) licence has been obtained (Give licence number)
(b) licence has been duly renewed (Rule-9)
(c) any amendment of licence necessary as a result of increase in the number of workers or power (Rule-8)
(d) exempted from any provisions of the Act. If so, specify the duration of such exemption.
(e) Is Sign-board, with conspicuous letters written in white or luminous paint or any colour, at the main entrance of the Factory Name, License No., Address, Name Occupier and Name of the Manager has been displayed? (Rule-7-A)

2. Hours of workers :

- (i) What working hours are in force (Section-51, 52, 54, 55, 56)

- (ii) engaged in production :

		Men		Women		Young Person	
		From	To	From	To	From	To
	1 st Shift						
	2 nd Shift						
	3 rd Shift						
	General Shift						
	Office Staff						

- (iii) Are the working hours approved by the I.F. ? (Section-61)

(1)

KL

- 103)
Washing
Are a
th
13.
14.
- (iv) Are provisions regarding working hours complied with ?
3. **Intervals for rest :**
What are the periods for rest ?
- | | from | to | from | to | hour | Duration |
|-----------------------|------------|----------|------------|----------|------|----------|
| 1 st Shift | from | to | from | to | hour | hour |
| 2 nd Shift | from | to | from | to | hour | hour |
| 3 rd Shift | from | to | from | to | hour | hour |
| General Shift | from | to | from | to | hour | hour |
| Office Staff | from | to | from | to | hour | hour |
- (Section-55)
4. **Abstract of Act/Rules :**
Are abstracts of the Act and Rules displayed at a conspicuous place and maintained in clear and legible conditions ?
(Section-108, Rule-118)
5. **Weekly Rest :**
Which day of week is observed as holiday ? (Section-52)
6. **Substituted Holiday :**
Is any person employed on weekly holiday ? If so,
(i) was a substituted holiday given ?
(ii) was a notice thereof delivered to the Inspector in time ?
(Section-52)
7. **Compensatory Holidays :**
If the register of compensatory holidays maintained in the prescribed Form No. 12 and entries in respect of each worker correctly made therein ? (Section-53)
8. **Overtime :**
Is overtime taken according to section-64 and Rules made thereunder ? If yes :
(i) is overtime register maintained on Form No.10? (Section-59/rule-76)
(ii) is overtime paid at double rate ? (Section-59)
9. **Notice of period of work :**
(i) Is the notice of periods of work of adult workers displayed in the prescribed form No. 11 and correctly maintained ? (Section-61, Rule-77)
(ii) Has there been any change in the periods of work ? If so, was it notified to the Inspector ? (Section-61, Sub-section (10))
(iii) Is the register of adult workers maintained in the prescribed Form No. 12 ? (Section-62, Sub-section (1))
(iv) Are adult workers employed in accordance with the notice of periods of work and entries made in the register of adult workers ? (Section-63)
10. **Admission to Employment :**
Are children of below 14 years of age employed ? (Section-67)
11. **Children and adolescents :**
If children and adolescents are employed? (Section-67)
(i) is medical certificate obtained from Certifying Surgeon in respect of each child are adolescents and is it in the custody of the manager ? (Section-69)
(ii) is every child or adolescent in possession of token ? (Section-68)
(iii) is notice of periods of work for child workers maintained and displayed ? (Section-72)
(iv) is the register of child workers maintained in the prescribed form? (Section-73)
(v) are children employed in accordance with notice of periods of work and entries made in the register of child workers ? (Section-74)
12. **Leave with wages :**
Are annual leave with wages allowed in accordance with the provisions of Chapter-VIII and has the necessary record been maintained ? (Section-79, Rule-102,

(2)

✓✓



Organization

- 103)
13. **Washing Facilities :**
Are adequate and suitable facilities for washing and bathing provided separately for the use of male and female workers?(Section-42, Rule-64)
14. **Medical :**
(i) Are the desired number of first-aid boxes or cupboards (with necessary contents therein) maintained?(Section-45, Rule-66)
(ii) Is an ambulance room or dispensary maintained and is it under the charge of qualified persons ? (for factories employing 500 or more workers) (Section-45(4), Rule-67)
(iii) Is it in the charge of registered medical practitioner and assisted by at least one qualified nurse.
15. **Canteen : (for factories employing more than 250 workers) :**
Is the factory required to maintain a Canteen? if yes, is it functioning in accordance with the prescribed rules? (Section-46, Rule-68).
16. **Rest Room : (for factories employing more than 150 workers) :**
Is the factory required to maintain a separate rest room(s) and lunch-room? If yes, are these provided ? (Section-47, Rule-69)
17. **Crèche for children : (for factories employing more than 30 women workers) :**
Is there any room (crèche) for children and is it properly equipped ? (Section-48, Rule-70)
18. **Hours of Work of Women :**
Are women made to work between 7 p.m. and 6 a.m. and are provided facilities as per Notifications issued by the Govt. ? (Section-66)
19. (a) **Welfare Officer (for employing 500 or more workers) :**
Does the factory employ a Welfare Officer? (Section-49, U.P. Factories Welfare Officer's Rules, 1955)
(b) **Safety Officer (for employing 1000 thousands or more workers or for MAH Factory) :**
Does the factory employ Safety Officer? (Section-40-B, The U.P. Factories (Safety Officer) Rules, 1984)
20. **Health & Hygiene, Cleanliness :**
(i) Are all the floors and benches of workrooms, staircases and passages swept daily? {Section-11 (a)}
(ii) Is the floor of every work room washed at least once every week with disinfectants or is it cleaned by some other effective methods? {Section-11 (1) (b)}
(iii) Have proper arrangements been made for drainage (in case water) accumulates in the course of the manufacturing process ?) {Section-11(1)(c)}
(iv) **Ventilation and Temperature**
(a) Have effective and suitable provision been made for adequate ventilation and control of temperature? (Section-13, Rule-19)
(b) Are there arrangements to effectively contain and remove dust and fumes ? (Section-14)
(v) **Artificial Humidification**
Are provisions complied with in respect of artificial humidification in any room of a cotton-spinning or weaving factory ? (Section-15, Rules-20 to 30)
(vi) **Overcrowding**
Have 500 (350) cubic feet of space been provided for each worker in every workroom? (Section-16)
(vii) **Lighting**
Is lighting sufficient and suitable? Does it form a glare or shadow to cause eye-strain or risk of accident to any worker? (Section-17, Rules 31 to 35)
(viii) **Drinking Water**
(a) Is provision for the supply of wholesome drinking water made in accordance with the prescribed scale? (Section-18, Rules-36 to 40)

(3)

HL



(b) Is facilities for drinking water in hot weather available to the workers? (for employing more than 250 workers) {Section 18(3) Rules 36 to 40}

(ix) Latrines and Urinals

- (a) Are latrines and urinals provided according to the prescribed scale? (Section-19, Rule-41)
- (b) Are there separate latrines for males and females? (Rule-44)
- (c) Do the design, situation etc. of latrines and urinals conform to public health requirements? (Rule-42 and Rule-46)
- (d) Are these maintained in clean and sanitary conditions? (Section-19(d))

(e) Painting

Is white washing of colour washing carried out at prescribed intervals? (Section-19, Rule-48)

(x) Spittoons

Is there a sufficient number of spittoons at convenient place? Are they cleaned and disinfected regularly? (Section-20, Rule-51)

21.

Building :

- (i) Has permission been obtained to build or extend the building? If so, has construction been carried out according to the plans approved by the Director of Factories/Dy. Director of Factories/Asstt. Director of Factories, and also have any alterations been made or has machinery layout changed since last approval granted? (Section-6, Rules-3 and 4)
- (ii) Is the factory building or part thereof, machinery or plant therein a condition dangerous to human life or safety? (Section-39, Section-40)
- (iii) Does such use involve imminent danger to human life or safety? (Section-39, Section-40)
- (iv) Should any order, in writing, be issued for drawings, specification etc. to ascertain safety aspects? (Section-40)
- (v) Should any tests be carried out to determine the strength of quality or any specified part? Orders to be issued on gravity of the situation. (Section-39)
- (vi) Are floors, stairs and means of access of sound construction and properly maintained? (Section-32)
- (vii) Are pits, sumps, openings in floors etc. security-covered or fenced? (Section-33)

22.

Precautions in Case of Fire :

- (i) Are the buildings and plants so laid out and roads, passageways etc. so maintained to permit unobstructed access for fire fighting? (Section-38, Rule-61)
- (ii) Is the quantity to stored flammable liquid in any work room minimum? (Section-38, Rule-61)
- (iii) Are the fire risks classified according to class of fire as prescribed in rules? (Section-38, Rule-61)
- (iv) Are the means of escape in case of fire/Emergency exit/fire exit, as prescribed in rules? (Section-38, Rule-61)
- (v) Is the Emergency exit/Fire exit made of fire resisting materials? (Section-38, Rule-61)
- (vi) Does the number of first-aid fire fighting equipments confirms to prescribed provisions? Have different types of fire fighting equipments been provided for different classification of fires? (Section-38, Rule-61)
- (vii) How many numbers of different types of fire fighting equipments have been provided? Are they allotted a serial numbers? (Section-38, Rule-61)
- (viii) Are the fire fighting equipments periodically tested by properly trained persons, kept charged and records maintained? (Section-38, Rule-61)
- (ix) Are the workers trained in the use of first aid fire fighting equipments? (Section-38, Rule-61)
- (x) Are the fire fighting drills being conducted ? If yes, what is the periodicity ?

(4)

Handwritten signature

- (Section-38, Rule-61)
- (xi) Is there adequate provisions of water supply for fire fighting provided and maintained? Are hazardous areas taken into consideration for provisions of fire fighting? (Section-38, Rule-61)
- (xii) Have notices prohibiting smoking and use of naked lights in specific areas been displayed? (Section-38, Rule-61)
- (xiii) Are safety rules concerning building and structure complied with? Does the fire exit doorways open outwards? Has the minimum fire exit door size of 100 cm x 200 cm (height) been provided? (Section-38, Rule-61)
23. **Fencing :**
- (i) Are the following securely fenced?
- (a) every moving part of prime-mover;
- (b) head-race and tail-race of water wheel and water turbine;
- (c) part of every stock-bar projecting beyond the head stock of a lathe;
- (d) part of electric generator, motor or rotary converter or transmission machinery and dangerous part of any machinery where any person may come into contact with it. (Section-21, Rule-52)
- (ii) Are the set screw, bolt and key on any revolving shaft, spindle wheel or pinion and all types of gears, etc. in motion guarded? (Section-21, Rule-52)
- (iii) Is there any machinery installed which is covered by special rules under section-21? If so, is it (Section-21, Rule-52)
24. **Work on or Near Machinery in Motion :**
- (i) Is it necessary to examine any part of machinery while in motion. Is it done by a specially trained adult male worker wearing tight-fitting clothing? (Section-22)
- (ii) Is any woman or child/adolescent allowed to clean, lubricate or adjust any machinery in motion? (Section-22)
25. **Employment of Young Persons on Dangerous Machines :**
- (i) Is any young person employed on a dangerous machines? (Power press other than hydraulic press, milling machine used in a metal trades, guillotine machine, circular saw and plate printing machine)? (Section-23, Rule-54)
- (ii) If yes, has he received sufficient training or is he under adequate supervision? (Section-23, Rule-54)
26. **Devices for Cutting off Power :**
- (i) Are suitable devices provided and maintained in every room for cutting off power in emergencies? (in respect of factories in operation before commencement of Act, provisions applicable to workrooms in which electricity is used as power) (Section-24)
- (ii) Are driving belts, when not in use, allowed to rest or ride upon shafting in motion? (Section-24)
27. **Self-acting Machine :**
- (i) Is any traversing part of self-acting machine (planers, shapers, etc.) coming within 18 inches of a fixed structure which is not part of the machine? (Section-25)
- (ii) Has the Chief Inspector given any permission waiving the above provision? (Section-25)
28. **Casing of New Machinery :**
- (i) Are provisions for casing of power-driven machinery satisfied? (Applicable for new machinery installed after commencement of the Act) (Section-26)
- (ii) If not, give the name of manufacturer or lessor. (Section-26)
29. **Employment of Women and Children Near Cotton-openers (Cotton Pressing) :**
- Are women or children employed where cotton-openers are at work without satisfying the requisite conditions? (Section-27)
30. **Hoists and Lifts :**
- (i) Are all parts of hoists/lifts of good mechanical construction, sound material and

(5)

XL



- of adequate strength and properly maintained? (Section-28 Rule-55)
- (ii) Are they thoroughly examined by a competent person at least once every six months and particulars of examinations maintained in a register? (Section-28 Rule-55)
- (iii) Is safe working load marked? Is it exceeded? (Section-28 Rule-55)
- (iv) Is cage of carrying persons fitted with a gate on each side from which access is afforded to a landing? (Section-28 Rule-55)
- (v) Is the interlocking device for securing gate against opening (other than at landing place) fitted and in working order? Can the cage move if the gate is not closed? (Section-28 Rule-55)
- (vi) If hoist/lift is installed after commencement of Act, have additional requirements been complied with? (Section-28 Rule-55)
- (vii) Has the CIF permitted its use under certain conditions? If so, please check. (Section-28 Rule-55)
31. **Cranes and other Lifting Machinery and Tackles, Ropes, etc. :**
- (i) Is the test certificate from competent person available? {Section-29, Rule-55-A }
- (ii) Is the equipment thoroughly examined at least once every 12 months? {Section-29, Rule-55-A }
- (iii) Is safe working load marked? Is safe working load exceeded? {Section-29 Rule-55-A }
- (iv) Are chains and lifting tackles heat treated periodically as prescribed? {Section-29 Rule-55-A }
- (v) Has this been ensured that the crane does not approach within 20 feet of the place where any person is employed/working or where he is liable to be struck by the crane? {Section-29 Rule-55-A }
- (vi) Are all parts of good construction, sound material, and adequate strength, and free from defects?
- (vii) Is crane driver/signaler trained and of 18 years or above of age? {Section-29 Rule-55-A }
32. **Revolving Machinery :**
- (i) Are notices regarding maximum safe peripheral speed of grind stone or abrasive wheel, etc. displayed on or near each machine? (Section-30)
- (ii) Are speeds exceed? (use measuring instrument for checking) (Section-30)
- (iii) Have any effective measures been taken to ensure that safe working peripheral speed of revolving machinery like cage, basket, flywheel, pulley disc, etc. is not exceeded? (Section-30)
33. **Pressure Plant :**
- (i) Have effective measures been taken to ensure that safe working pressure is not exceeded? (Section-31 Rule-56)
- (ii) Are safety valves, pressure gauges, stop valves, drain cocks, etc. provided? (Section-31 Rule-56)
- (iii) Is it thoroughly examined externally by a competent person every six months and internally every 12 months? (Section-31 Rule-56)
- (iv) Is hydraulic test carried out every 2/4 years? (Section-31 Rule-56)
- (v) Has the pressure vessel thin walls and is it made of copper or other non-ferrous metal? If so, have the special provisions been complied with? (Section-31 Rule-56)
- (vi) Are all particulars regarding the pressure vessel available? (Section-31 Rule-56)
- (vii) Has the report in Form No. 9 been signed by the person making the examination and maintained for inspection? (Section-31 Rule-56)
34. **Floors, Stairs and Means of Access :**
- (i) Are floors, stairs, passages and gangways of sound construction and properly maintained? Are substantial handrails provided where necessary? (Section-32)

(6)

W



- (ii) Are safe means of access to every place of work provided? (Section-32)
35. **Pits, Sumps, Opening in Floors etc. :**
 (i) Are fixed vessels, tanks, sumps, pits or openings in the ground or floor that may be a source of danger securely covered or fenced? (Section-33)
 (ii) Has any exemption been granted by Government? (Section-33)
36. **Excessive Weights :**
 (i) Are any women or young person permitted to lift, carry or move any load without any mechanical aid in excess of the maximum prescribed? (Section-34 Rule-57)
 (ii) Are any women or young person engaged to lift, carry or move any material, article, tool or appliance, if the weight thereof exceeds the lowest weight prescribed in rule for any of the persons engaged multiplied by the number of persons engaged? (Section-34 Rule-57)
37. **Protection of Eyes :**
 Are effective screens or suitable goggles provided to workers employed in specified processes mentioned in rule-58? (Section-35, Rule-58)
38. **Precautions against Dangerous Fumes :**
 (i) Are manholes or other effective means of egress provided in chambers, tanks, pits, flues or other confined spaces where dangerous fumes are likely to be present? (Section-36 Rule-59)
 (ii) Does the size of the manholes conform to Rules? (Section-36 Rule-59)
 (iii) Is a portable electric light/appliance of voltage exceeding 24 volts used inside any confined space, such as is referred to in (i) above? (Section-36 Rule-59)
 (iv) Are lamps or lights other than of Flameproof construction used in the area where fumes present are likely to be inflammable? (Section-36 Rule-59)
 (v) Are the provisions of Sub-section (2) of section-36 followed (prescribing that no person shall be allowed to enter a confined place in which dangerous fumes are likely to be present unless a certificate has been obtained from a competent person certifying the space to be free from dangerous fumes and fit for persons to enter) (Section-36 Rule-59)
 (vi) Before entry in the confined space, are the workers made to wear suitable breathing apparatus,? Is it ensured that the belt is securely attached to rope, the free end of which is held by a person outside the confined space? (Section-36 Rule-59)
 (vii) Are suitable breathing apparatus, reviving apparatus, etc. kept ready for use? (Section-36 Rule-59)
 (viii) Are such apparatus periodically examined and certified by a competent persons? (Section-36 Rule-59)
 (ix) Are any workers trained for this type of work? Do they practice the use of such apparatus and the method of restoring respiration? (Section-36 Rule-59)
 (x) Is it checked whether the confined space is sufficiently cool for entry of a person for working or making any examination? (Section-36 Rule-59)
39. **Explosive or Inflammable Dust, Gas etc. :**
 (i) Have all practical measures been taken to prevent explosions? (Section-37, Rule-60)
 (ii) Have all necessary measures been taken to restrict the spread and effects of any explosion? (Section-37, Rule-60)
 (iii) Are safety provisions complied with when opening the part of a plant or machinery containing explosive or inflammable gas or vapour under pressure greater than atmospheric pressure? (Section-37, Rule-60)
 (iv) Are precautions taken before welding, brazing, soldering or cutting operations in respect of any plant, tank or vessel which contains or has contained explosive or inflammable substances? (Section-37, Rule-60)
40. **Miscellaneous :**
 (i) Is any building, wall, chimney, bridge, tunnel, road, gallery, stairway, ramp,

(7)

floor, platform staging or other structure, whether of a temporary character, constructed, situated or maintained in such a manner as to cause risk of bodily injury? (Rule-52-A)

- (ii) Is any machinery, plant or equipment constructed, situated, operated or maintained in such a manner as to cause risk of bodily injury? (Rule-52-B)
- (iii) Is any process or work being carried on in such a manner as to cause risk of bodily injury? (Rule-52-C)
- (iv) Are all necessary precautions taken against electrical hazards?
- (v) Is the material or equipment being stacked or stored in such a manner as to cause risk of bodily injury? (Rule-52-D)
- (vi) (a) Are the railway wagons moved either by power or hand without the supervision of a responsible person and a person deputed to walk ahead to the wagon being shunted with a bell or other audible device. Is the same of such persons shown separately in the attendance register in form no. 127 {Rule-63(a)}
- (b) Is the mechanical transport, other than railways, when moved by power, being operated by persons trained to work and such operation is under the charge of a responsible, supervision? {Rule-63(b)}

41. **General duties of the occupier :**

(Section-88A/89, Rules-110/111/112)

- (i) Has the health, safety and welfare of workers, while they are at work in the factory, been ensured?
- (ii) Have such provisions been made and maintained in respect of plant and system of work in the factory that are safe and without risks to health?
- (iii) Have the arrangements been made for ensuring safety and absence of risks to health in connection with the use, handling, storage, and transportation of articles and substances?
- (iv) Have the provisions been made for such information, instructions, training and supervision as are necessary to ensure the health and safety of workers at work?
- (v) Have all places of work in the factory been maintained in a condition that is safe and without risk to health, and
- (vi) Have provisions been made and maintained for safe means of access to, and egress from such places as are safe and without risks
- (vii) Have the provisions been made and maintained for monitoring of work environment for the workers, that is safe, without risk to health and adequate as regards facilities and arrangements for their welfare at work?
- (viii) Is there any new chemical being used? If so, what is its nature?
- (viii) Was there any incidence of :
 - (a) gassing;
 - (b) fire;
 - (c) explosion;
 - (d) accidents; and
 - (e) occupational diseases, during the preceding 12 months
- (ix) If so, give:
 - (a) number of accidents;
 - (i) Minor;
 - (ii) serious; and
 - (iii) fatal.
 - (b) cases of occupational diseases, and nature.
 - (c) have all these accident been reported ?

Signature of Inspection Authority

(8)

Provisions for Hazardous Process Factories only (PART-II)

1. Has the occupier disclosed all information regarding dangers, including Health Hazard and to overcome such hazard arising from the exposure to or handling of the materials or substances to workers in form of Material Safety Data Sheet? {Section-41-B(1), Rul- 63-C&Rule-63-D}
2. Has the occupier of the factory laid down a detailed Health & Safety Policy and made known to workers and authorities? {Section-41-B(2) Rule-63-B}
3. Has the occupier of the factory drawn up On-Site Emergency Plan and detailed disaster control measures and made known to the workers employed therein, Chief Inspector, Local authority and to the general public living in the vicinity ? {Section-41-B(4)}
4. Has the occupier of factory : {Section-41-C Rule-63-I, 63-J, 63-N}
 - (i) maintained accurate and up to date Health records/medical records of workers ?
 - (ii) and appointed qualified and experienced persons in handling hazardous substances ?
 - (iii) and has provision of medical examination of every worker before the employment and during employment at regular intervals ?
5. Is the concentration of chemicals and toxic substances in the work environment below the permissible limit values specified in Schedule-II of the Act ? (Section-41-F)
6. Has the occupier of factory setup a safety committee ? (Section-41-G Rule-62-B)
7. Has the occupier taken remedial action in respect of imminent danger to life or health due to any accident ? (Section-41-H)

Signature of Inspection Authority

JK



Provisions for Major Accident Hazards Factories only (PART-III)

1. **Assessment of the Safety System :**
Is a work permit system available for different types of jobs such as :
 - (i) Cold work :
 - (ii) Hot work :
 - (iii) Vessel Entry :
 - (iv) Excavation :
2. **Safety Policy :**
 - (i) Is a documented available ?
 - (ii) Is it signed by the Local Management ?
 - (iii) Is the Safety target described ?
 - (iv) Name(s) of Safety Officer(s) :
3. **On -site Emergency Plan :**
 - (i) Has prepared On-site Emergency Plan ?
 - (ii) Is the Emergency organization indicated in the Plan ?
 - (iii) Are the Emergency functions available?
 - (iv) Are the Emergency levels and procedures described ?
4. **Safety Audit :**
 - (i) Has carried out Safety Audit for the industrial activities with the help of an expert, not associated with such industrial activities once in a year?
 - (ii) Has submitted the report of Safety Audit to the concerned authorities?
5. **Safety Report :**
 - (i) Has Prepared Safety Report on Schedule-8 in view of industrial activities?
 - (ii) Has submitted Safety Report to the concerned authorities?
6. **Notification of Site :**
 - (i) Has Prepared Notification of Site on Schedule-7 in view of industrial activities?
 - (ii) Has submitted Notification of Site to the concerned authorities?
 - (iii) Has have the changed been made in Notification of Site as per increase of decrease in the maximum threshold quantity of hazardous chemicals?

Note:

- 1- Other relevant provisions/ discovered irregularities are mentioned on separate sheet/Inspection Note.
- 2- Please refer to Factories Act 1948 and Rules made there under for detailed information.

Signature of Inspection Authority

KS



निरीक्षण हेतु व्यापक चेकलिस्ट

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 तथा नियमावली 1963

क्र०	विवरण
1.	धारा-4बी, नियम-2ए(2) के अन्तर्गत, प्रतिष्ठान का पंजीयन नहीं कराया गया है।
2.	नियम-2ए(2) के अन्तर्गत, प्रतिष्ठान का नवीनीकरण नहीं कराया गया है।
3.	धारा-4बी नियम-2ए(6) के अन्तर्गत प्रतिष्ठान के नाम/ पते/ श्रमिकों की संख्या में हुये परिवर्तन के अनुसार पंजीयन प्रमाणपत्र में संशोधन नहीं कराया गया है।
4.	नियम-2ए(13) के अन्तर्गत, पंजीयन प्रमाणपत्र, प्रतिष्ठान में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित नहीं किया गया है।
5.	धारा-5(1), धारा-5(2) एवं नियम-3(1), नियम-3(2) व नियम-3(3) के प्राविधानों के विपरीत, प्रतिष्ठान समय से पूर्व खुला पाया गया।
6.	धारा-5(1), धारा-5(2) एवं नियम-3(1), नियम-3(2) व 3(3) के प्राविधानों के विपरीत, प्रतिष्ठान समय के उपरान्त भी खुला पाया गया।
7.	धारा-6(1)(बी) के प्राविधानों के विपरीत, किशोर श्रमिक से दिन में 06 घण्टे से अधिक कार्य लिया जा रहा है।
8.	धारा-6(1)(सी) एवं धारा 6(2)के प्राविधानों के विपरीत, वयस्क श्रमिकों से दिन में 08 घण्टे से अधिक कार्य लिये जाने के उपरान्त भी उन्हें अतिकाल वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
9.	धारा-6(1) के प्रथम परन्तुक एवं नियम-4 के अधीन अतिकाल कार्य करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में निरीक्षक को सूचना प्रेषित नहीं की गयी है।
10.	धारा-7 के प्राविधानों के विपरीत, कर्मचारियों को कम से कम आधे घण्टे का विश्राम दिये बिना लगातार 5 घण्टे से अधिक कार्य लिया गया है।
11.	धारा-8(1)(ए) के प्राविधानों के विपरीत, प्रतिष्ठान साप्ताहिक बन्दी के दिन खुला पाया गया।
12.	धारा-8(1)(बी), नियम-5 के प्राविधानों के विपरीत, सार्वजनिक अवकाश के दिन प्रतिष्ठान खुला पाया गया।
13.	धारा-8(2), नियम 8(i) के अन्तर्गत प्रतिष्ठान के बंदी के दिनों को निर्दिष्ट करने वाली सूचना, प्रपत्र-बी में, अधिष्ठान के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित नहीं की गयी है।
14.	धारा-8(3), नियम 7(i) के प्राविधानों के विपरीत प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना बंदी के दिन में परिवर्तन किया गया है।
15.	धारा-9, नियम-9 के अन्तर्गत, कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश की सूचना प्रपत्र-सी में प्रदर्शित नहीं की गयी है।
16.	धारा-9 (i) के अन्तर्गत, कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दिन अवकाश नहीं दिया गया है।
17.	धारा-9 (ii) के अन्तर्गत, कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश नहीं दिया जाता है।
18.	धारा-10(1) के अन्तर्गत, कर्मचारियों को प्रत्येक 12 मास में कम से कम 15 दिन का उपार्जित अवकाश प्रदान नहीं किया जा रहा है।

19.	धारा-10(1) के परन्तुक के अनुसार चौकीदार या अवेक्षक (केयर टेकर) को प्रत्येक 12 मास में कम से कम 60 दिन का उपार्जित अवकाश प्रदान नहीं किया जा रहा है।
20.	धारा-10(2) एवं नियम-10(2) के अन्तर्गत कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 15 दिन का चिकित्सा अवकाश प्रदान नहीं किया जा रहा है।
21.	धारा-10(3) के अन्तर्गत, कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 10 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान नहीं किया जा रहा है।
22.	धारा-10(5) के अन्तर्गत, कर्मचारी द्वारा किसी वर्ष में ऐसे उपार्जित अवकाश, जिनका उपभोग नहीं किया गया है, को अगले वर्ष के उपार्जित अवकाश में जोड़ा नहीं गया है।
23.	धारा-10(7) के अन्तर्गत, कर्मचारी का नियोजन समाप्त हो जाने के उपरान्त, उसे देय उपार्जित अवकाश के बदले वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
24.	नियम-10(3)(ग) के परन्तुक के विपरीत, कर्मकार की दुर्घटना, शारीरिक क्षति, कुटुम्ब में मृत्यु या कर्मकार की पत्नी एवं संतान की रूग्णता के कारण मांगे गये आकस्मिक अवकाश को प्रदान नहीं किया गया है।
25.	धारा-11(1) के अन्तर्गत, कर्मचारियों को, अस्वीकृत उपार्जित अवकाश के बदले वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
26.	धारा-12 के अन्तर्गत, कर्मचारियों को अवकाश के दिन के लिये और अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित छुट्टी के दिन के लिये वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
27.	धारा-13 एवं नियम-11 के अन्तर्गत, कर्मचारियों को समय से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
28.	धारा-13(4)(ए) के अन्तर्गत, सेवायोजक द्वारा कर्मचारी का नियोजन समाप्त किये जाने की दशा में, उसे दूसरे कार्यदिवस के पूर्व वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
29.	धारा-13(4)(बी) के अन्तर्गत, कर्मचारी द्वारा अपना नियोजन समाप्त किये जाने की दशा में उसे अगले वेतन दिवस तक, वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
30.	धारा-14(1) के अन्तर्गत उपार्जित अवकाश पर जाने वाले कर्मकार को, मांगे जाने पर वेतन के अग्रिम का भुगतान नहीं किया गया है।
31.	धारा-14(2) के अन्तर्गत, चिकित्सा अवकाश पर जाने वाले कर्मकार को, चिकित्सा अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
32.	धारा-15, नियम-12(1) के विपरीत, कर्मचारियों के वेतन से अनुमोदित कटौतियों के अतिरिक्त कटौतियों की जा रही हैं।
33.	धारा-15, नियम-12(2) के विपरीत, कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना, जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
34.	धारा-15, नियम-12(3)(ख) के विपरीत, कर्मचारी के ड्यूटी से अनुपस्थिति के लिये, अनुपस्थिति के अनुपात से अधिक पारिश्रमिक की कटौती की गयी है।
35.	धारा-15, नियम-12(4) के विपरीत, कर्मचारी के कारण हुये किसी नुकसान के एवज़ में, नुकसान से हुयी हानि से अधिक तथा कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना कटौती कर ली गयी है।
36.	धारा-15, नियम 12(8) के अन्तर्गत, कटौतियों से सम्बन्धित प्रपत्र-डी नहीं बनाया गया है।
37.	धारा-15, नियम 12(8) के अन्तर्गत मौके पर पाये गये प्रपत्र-डी में अपेक्षित प्रविष्टियाँ अभिलिखित नहीं हैं।

38.	धारा-16 के प्राविधानों के विपरीत, कर्मचारी पर, वेतन की अवधि के लिए उसे देय वेतन के 03 प्रतिशत से अधिक अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
39.	धारा-17(1), नियम-13(1) के अन्तर्गत प्रारूप-ई में जुर्माने का रजिस्टर नहीं रखा गया है।
40.	धारा-19(1) के प्राविधानों के विपरीत, कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है।
41.	धारा-20(2) के प्राविधानों के विपरीत, कर्मचारी की सेवा समाप्त होने के उपरान्त उसके अनपेक्ष वेतन से, 15 दिन से अधिक की कटौती की गयी है।
42.	धारा-21 के विपरीत, प्रतिष्ठान में बालकों को नियोजित किया गया है।
43.	धारा-22 के प्राविधानों के विपरीत, महिला कर्मचारों से रात्रि में कार्य लिया जा रहा है।
44.	धारा-23 के प्राविधानों के विपरीत, महिला कर्मचारी से उसके संतान जन्म के 6 सप्ताह की अवधि के भीतर कार्य लिया जा रहा है।
45.	धारा-24 के प्राविधानों के विपरीत, गर्भवती महिला कर्मचारी की मांग पर उसे संभावित प्रसव के 6 सप्ताह पूर्व अवकाश नहीं दिया गया है।
46.	धारा-25 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्त्री कर्मचारी को मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रसूति प्रसूति एवं प्रसूति अवकाश नहीं दिया गया है।
47.	धारा-27 के अन्तर्गत महिला कर्मचारी को शिशु के स्तनपान की अवधि में, विश्राम के नियमित अन्तराल के साथ ही आधे-आधे घन्टे के दो अतिरिक्त अन्तराल प्रदान नहीं किये जा रहे हैं।
48.	धारा-28 के प्राविधानों के विपरीत, प्रसूति के कारण काम से अनुपस्थित महिला कर्मचारी को, सेवा से पृथक कर दिया गया है।
49.	धारा-30, नियम-19(2) के अन्तर्गत, निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर, आवश्यक रजिस्टर, अभिलेख आदि जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।
50.	धारा-32, नियम-18(1)(ए) के अन्तर्गत, प्रतिष्ठान में 10 तक कर्मचारी कार्यरत होने पर भी हाजिरी एवं वेतन का संदाय, कटौतियों एवं अवकाश के सम्बन्ध में प्रपत्र-सीसी का रखरखाव नहीं किया गया है।
51.	धारा-32, नियम-18(1)(बी) के अन्तर्गत, प्रतिष्ठान में 25 तक कर्मचारी कार्यरत हैं, परन्तु:- ○ प्रपत्र-जी में, हाजिरी व वेतन का रजिस्टर नहीं रखा गया है। ○ प्रपत्र-एच में अवकाश का रजिस्टर, नहीं रखा गया है।
52.	धारा-32, नियम-18(1)(ग) के अन्तर्गत, प्रतिष्ठान में 25 से अधिक कर्मचारी हैं, परन्तु:- ○ प्रपत्र-जी में, हाजिरी व वेतन का रजिस्टर नहीं रखा गया है। ○ प्रपत्र-एच में, अवकाश का रजिस्टर, नहीं रखा गया है। ○ प्रपत्र-डी में, कटौती का रजिस्टर नहीं रखा गया है।
53.	धारा-32, नियम-18(5) के अन्तर्गत, रजिस्टर व अभिलेखों को निर्धारित समय के लिये सुरक्षित नहीं रखा गया है।
54.	धारा-32, नियम-20 के अन्तर्गत:- ○ निरीक्षण पुस्तिका नहीं रखी गयी है। ○ निरीक्षक के माँगने पर उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

निरीक्षण हेतु व्यापक चेकलिस्ट

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं उ0प्र0 न्यूनतम वेतन नियमावली, 1952

क्र०	विवरण
1.	धारा-11 के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मचारियों को वेतन का संदाय चेक या एन0ई0एफ0टी0, ई0सी0एस0 या अन्य बैंककारी समाधानों के माध्यम से नहीं किया गया है।
2.	धारा-12(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मचारियों को नियत न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3.	धारा-13(1)(सी), नियम-23 के प्राविधानों के अन्तर्गत:- <ul style="list-style-type: none"> ○ कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया रहा है। ○ साप्ताहिक अवकाश में कार्य लेने पर, अतिकाल की दर से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4.	धारा-14, नियम-24 के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मचारियों से निर्धारित घण्टों से अधिक कार्य लेने के बाद भी उन्हें अतिकाल का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
5.	धारा-14, नियम-25 के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मचारियों से निर्धारित घण्टों से अधिक कार्य लेने के बाद भी उन्हें अतिकाल का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
6.	धारा-17 के प्राविधानों के अन्तर्गत, मात्रानुपाती कार्य के आधार पर नियोजित कर्मचारियों को न्यूनतम कालानुपाती दर से कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है।
7.	नियम-25ए(iv) के प्राविधानों के अन्तर्गत, अतिकाल वेतन का भुगतान दर्शाने वाला रजिस्टर प्रपत्र-17 में नहीं रखा गया है।
8.	धारा-18, नियम-26(1) के अन्तर्गत, वेतन रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है।
9.	धारा-18, नियम-26(2) के अन्तर्गत, वेतन भुगतान के पूर्व वेतन पर्ची प्रपत्र-10 में नहीं दी जा रही है।
10.	धारा-18, नियम-26(4) के अन्तर्गत, वेतन रजिस्टर की प्रविष्टियों को सेवायोजक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।
11.	धारा-18, नियम-26(5) के अन्तर्गत, नियोजक द्वारा प्रपत्र-4 पर मस्टर रोल नहीं रखा गया है।
12.	धारा-18, नियम-26(6) के प्राविधानों के अन्तर्गत :- <ul style="list-style-type: none"> ○ प्रतिष्ठान में सहज दिखाई पड़ने वाले स्थान पर, प्रपत्र-11 में न्यूनतम वेतन की दरें प्रदर्शित नहीं की गयी हैं। (नोटिस संख्या 01) ○ प्रपत्र-12 में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं नियमावली, 1952 का सारांश सहज दिखाई पड़ने वाले स्थान पर प्रदर्शित नहीं है। (नोटिस संख्या 02) ○ प्रपत्र-13 में निरीक्षक का नाम एवं पता प्रदर्शित नहीं है। (नोटिस संख्या 03) ○ प्रपत्र-14 में साप्ताहिक अवकाश का दिन प्रदर्शित नहीं है। (नोटिस संख्या 04) ○ प्रपत्र-15 में कर्मचारियों के कार्य के घण्टे प्रदर्शित नहीं है। (नोटिस संख्या 05) ○ प्रपत्र-16 में वेतन भुगतान के समय का प्रदर्शन नहीं है। (नोटिस संख्या 06)
13.	धारा-18, नियम-26ए के प्राविधानों के अन्तर्गत, अभिलेखों को निर्धारित समय तक संरक्षित नहीं रखा जा रहा है।
14.	धारा-18, नियम-26बी के प्राविधानों के अन्तर्गत, निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर अभिलेखों/रजिस्ट्रों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

निरीक्षण हेतु व्यापक चेकलिस्ट

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1955 एवं नियमावली, 1972

क्र०	विवरण
1.	धारा-6(1), नियम-3(ए) के अन्तर्गत, कर्मकारों से वसूले गये सभी प्रकार के जुर्माने, जिनका उपयोग नहीं किया गया है, श्रम कल्याण आयुक्त/श्रम आयुक्त को प्रेषित नहीं किये गये हैं।
2.	धारा-6(1), नियम-3(बी) के अन्तर्गत, कर्मकारों को देय सभी रकमों, जो कर्मकारों को किसी कारण से नहीं दी जा सकी हैं, को श्रम कल्याण आयुक्त/श्रम आयुक्त को प्रेषित नहीं किया गया है।
3.	धारा-9, नियम-20 के अन्तर्गत, सेवायोजक द्वारा श्रम कल्याण निधि में देय धनराशि का विवरण, निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4.	नियम-21 के अन्तर्गत, वांछित रजिस्टर एवं अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

निरीक्षण हेतु व्यापक चेकलिस्ट

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 एवं नियमावली 1976

क्र०	विवरण
1.	धारा-4(1) के प्राविधानों के अनुसार, समान कार्य एवं समान प्रकृति के कार्य के लिए, स्त्री कार्मिकों को, पुरुष कार्मिकों के समान, वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
2.	धारा-4(2) के प्राविधानों के विपरीत, धारा-4(1) के उपबन्धों का पालन करने के प्रयोजन से, कर्मकारों के वेतन में कमी की गयी है।
3.	धारा-5 के प्राविधानों के विपरीत, स्त्रियों को भर्ती/प्रोन्नति/प्रशिक्षण/स्थानान्तरण के विषय में पुरुषों के समान अवसर नहीं दिया गया है।
4.	धारा-8, नियम-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत, कार्यरत कार्मिकों का कार्यस्थल पर, निर्धारित प्रपत्र पर रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।
5.	धारा-9(4) के प्राविधानों के विपरीत, कर्मकारों के नियोजन से सम्बन्धित अभिलेख, निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

निरीक्षण हेतु व्यापक चेकलिस्ट

संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम-1970 एवं तत्सम्बन्धी प्रदेश
नियमावली 1975

क्र०	विवरण
	प्रधान नियोजक के दायित्व :-
1.	धारा-7(1), नियम-17 के अन्तर्गत, प्रतिष्ठान का पंजीयन नहीं कराया गया है।
2.	नियम-18(4) के अन्तर्गत, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विवरण में परिवर्तन हो जाने पर, 30 दिनों के अन्दर परिवर्तन की सूचना नहीं दी गयी है।
3.	धारा-20(1), नियम 40(2) के अन्तर्गत, संविदा श्रमिकों के उपयोगार्थ:- <ul style="list-style-type: none"> ○ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गयी है। ○ शौचालयों एवं मूत्रालयों की नियमानुसार व्यवस्था नहीं की गयी है। ○ वाशिंग सुविधा की नियमानुसार व्यवस्था नहीं की गयी है। ○ प्राथमिक उपचार पेटिका की नियमानुसार व्यवस्था नहीं की गयी है।
4.	धारा-20(1), नियम 41(2) के अन्तर्गत, संविदा श्रमिकों के उपयोगार्थ, रात्रि आराम-गृह की व्यवस्था नहीं की गयी है।
5.	धारा-20(1), नियम 42(2)के अन्तर्गत, संविदा श्रमिकों के उपयोगार्थ, नियमानुसार कैंटीन की व्यवस्था नहीं की गयी है।
6.	धारा-20(1), के अन्तर्गत:- <ul style="list-style-type: none"> ○ नियम- 43 के अनुसार, कैंटीन में डायनिंग हाल, किचन, स्टोररूम, पेन्ट्री एवं वांशिग सुविधा की व्यवस्था नहीं की गयी है। ○ नियम- 44 के अनुसार डायनिंग हाल की व्यवस्था नियमानुसार नहीं की गयी है। ○ नियम- 45 के अनुसार कैंटीन में क्राकरी, कैटलरी आदि की व्यवस्था नियमानुसार नहीं है। ○ नियम- 46 के अनुसार खाद्य सामग्री की व्यवस्था नियमानुसार नहीं की जा रही है। ○ नियम- 47 के अनुसार खाद्य सामग्री की दरें प्रदर्शित नहीं की गयी है। ○ नियम- 48 के अनुसार कैंटीन का संचालन, नो-प्राफिट, नो-लॉस के आधार पर नहीं किया जा रहा है। ○ नियम- 49 के अनुसार कैंटीन के संचालन से सम्बन्धित लेखा व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। ○ नियम- 50 के अनुसार कैंटीन से सम्बन्धित लेखा का आडिट नहीं कराया गया है।
7.	धारा-21(2), नियम-72 के अन्तर्गत, संविदा श्रमिकों के वेतन का भुगतान अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष नहीं किया गया है।
8.	धारा-21(4) के अन्तर्गत, संविदाकार द्वारा अपने श्रमिकों को निर्धारित वेतन का भुगतान न करने पर, प्रधान नियोजक द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।
9.	धारा-22 के प्राविधानों के विपरीत, निरीक्षक को कार्य करने में बाधा उत्पन्न की गयी है।
10.	धारा-29, नियम-74 के अन्तर्गत, प्रपत्र-12 में संविदाकारो का रजिस्टर नहीं रखा गया है।
11.	धारा-29,नियम-81(1)के अन्तर्गत वेतन दरों, कार्य के घण्टे, वेतन चक्र, वेतन भुगतान का दिन, निरीक्षक का नाम एवं पता तथा अदत्त वेतन के भुगतान की तिथि को प्रदर्शित करने वाली नोटिसे, प्रतिष्ठान में किसी उपयुक्त स्थान पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित नहीं की गयी है।
12.	धारा-29, नियम-82(2) के अन्तर्गत प्रपत्र-25 में पंजीकर्ता अधिकारी को वार्षिक विवरण प्रेषित नहीं किया गया है।

	संविदाकार के दायित्व :-
13.	धारा-12, नियम-21 के अन्तर्गत, संविदाकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है।
14.	धारा-13(3), नियम-29 के अन्तर्गत, लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया है।
15.	धारा-12(2), के प्राविधानों के अन्तर्गत:- <ul style="list-style-type: none"> ○ नियम-25(1) के अनुसार, लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। ○ नियम-25(2)(ii) के प्राविधानों के विपरीत, लाइसेंस में अंकित अधिकतम श्रमिकों की संख्या से अधिक, श्रमिकों का नियोजन किया गया है। ○ नियम-5(2)(v)(a) के प्राविधानों के अनुसार, प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों के समान कार्य लिये पर भी, संविदा श्रमिकों को, समान प्रकार से लाभ नहीं दिया जा रहा है। ○ नियम-25(2)(vi)(a) के अनुसार 20 या अधिक महिला श्रमिक नियोजित करने के उपरान्त भी शिशु गृह की व्यवस्था नहीं की गयी है।
16.	धारा-16(1)(सी), नियम 42(1) के अन्तर्गत कैंटीन की व्यवस्था नहीं की गयी है।
17.	धारा-16(1), के अन्तर्गत:- <ul style="list-style-type: none"> ○ नियम- 43 के अनुसार, कैंटीन में डायनिंग हाल, किचन, स्टोररूम, पेन्ट्री एवं वाशिंग सुविधा की व्यवस्था नहीं की गयी है। ○ नियम- 44 के अनुसार, डायनिंग हाल की व्यवस्था नियमानुसार नहीं की गयी है। ○ नियम- 45 के अनुसार, कैंटीन में क्राकरी, कैटलरी आदि की व्यवस्था नियमानुसार नहीं है। ○ नियम- 46 के अनुसार, खाद्य सामग्री की व्यवस्था नियमानुसार नहीं की जा रही है। ○ नियम- 47 के अनुसार, खाद्य सामग्री की दरें प्रदर्शित नहीं की गयी है। ○ नियम- 48 के अनुसार, कैंटीन का संचालन, नो-प्राफिट, नो-लॉस के आधार पर नहीं किया जा रहा है। ○ नियम- 49 के अनुसार, कैंटीन के संचालन से सम्बन्धित लेखा व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ○ नियम- 50 के अनुसार, कैंटीन से सम्बन्धित लेखा का आडिट नहीं कराया गया है।
18.	धारा-17, नियम-41(1) के अन्तर्गत, संविदा श्रमिकों के उपयोगार्थ, रात्रि आराम-गृह की व्यवस्था नहीं की गयी है।
19.	धारा-18(ए), नियम-40(1) के अन्तर्गत, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गयी है।
20.	धारा-18(बी), नियम-40(1) के अन्तर्गत, शौचालय एवं मूत्रालय की नियमानुसार व्यवस्था नहीं की गयी है।
21.	धारा-18(सी), नियम-40(1) एवं नियम-57 के अन्तर्गत, संविदा श्रमिकों हेतु वाशिंग सुविधा की व्यवस्था नहीं की गयी है।
22.	धारा-19 एवं नियम-40(1) अन्तर्गत, संविदा श्रमिकों के उपयोगार्थ प्राथमिक उपचार पेटिका की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है।
23.	धारा-21(1), नियम-25(2)(iv) के अन्तर्गत, संविदा श्रमिकों को निर्धारित वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
24.	धारा-21, नियम-63 के अन्तर्गत, संविदा श्रमिकों को वेतन का भुगतान के लिए वेतन अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है।
25.	धारा-21, नियम-64 के विपरीत, संविदा श्रमिकों को वेतन भुगतान के लिए, एक माह से अधिक की वेतन अवधि का निर्धारण किया गया है।
26.	धारा-21, नियम-65 के अन्तर्गत संविदा श्रमिकों को मासिक चक्र की समाप्ति के निर्धारित

	दिवस के अन्दर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
27.	धारा-21, नियम-71 के अन्तर्गत संविदा श्रमिकों को वेतन अवधि, वेतन दिये जाने के स्थान व वेतन भुगतान के समय से सम्बन्धित नोटिसों का प्रदर्शन नहीं किया गया है।
28.	धारा-21(3), नियम-72 के अन्तर्गत संविदा श्रमिकों के वेतन का भुगतान, प्रधान नियोजक के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष नहीं किया गया है।
29.	धारा-29, नियम-75 के अन्तर्गत, प्रपत्र-13 में संविदा श्रमिकों के रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है।
30.	धारा-29 के अन्तर्गत पाये गये उल्लंघन:- <ul style="list-style-type: none"> ○ नियम-76(1) के अनुसार संविदा श्रमिकों को प्रपत्र-14 में नियोजन कार्ड नहीं दिया गया है। ○ नियम-76(2) के अनुसार नियोजन कार्ड में निर्धारित प्रविष्टियाँ अंकित नहीं की गयी हैं। ○ नियम-77 के अनुसार संविदा श्रमिकों को उनके नियोजन की समाप्ति के उपरान्त, प्रपत्र-15 में नियोजन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।
31.	धारा-29 के अन्तर्गत निम्न रजिस्ट्रों का रख रखाव नहीं किया गया है:- <ul style="list-style-type: none"> ○ नियम-78(2)(ए) के अनुसार प्रपत्र-16 में उपस्थिति रजिस्टर ○ नियम-78(2)(ए) के अनुसार प्रपत्र-17 में वेतन रजिस्टर ○ नियम 78(2)(बी) के अन्तर्गत प्रपत्र-19 में वेतन पर्ची ○ नियम-78(2)(डी) के अनुसार प्रपत्र-20 में डैमेज एण्ड लॉस से हुई हानि की कटौती का रजिस्टर ○ नियम-78(2)(डी) के अनुसार प्रपत्र प्रपत्र-21 में जुर्माने का रजिस्टर ○ नियम-78(2)(डी) के अनुसार प्रपत्र प्रपत्र-22 में अग्रिम का रजिस्टर ○ नियम-78(2)(ई) के अनुसार प्रपत्र प्रपत्र-23 में ओवरटाइम रजिस्टर
32.	धारा-29, नियम-79 के अन्तर्गत, अधिनियम एवं नियमावली का सारांश हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित नहीं किया गया है।
33.	धारा-29, नियम-80 के अन्तर्गत रजिस्टर एवं अभिलेखों का निर्धारित तरीके से रख-रखाव नहीं किया गया है।
34.	धारा-29, नियम-80(4) के अन्तर्गत रजिस्टर, अभिलेखों एवं नोटिसों को निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया।
35.	धारा-29, नियम-81(1) के अन्तर्गत वेतन दरों, कार्य के घन्टे, वेतन चक्र, वेतन भुगतान का दिन, निरीक्षक का नाम एवं पता तथा अदत्त वेतन के भुगतान की तिथि को प्रदर्शित करने वाली नोटिसें प्रतिष्ठान में किसी उपयुक्त स्थान पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित नहीं की गयी हैं।
36.	धारा-29, नियम-82(1) के अन्तर्गत, अर्धवार्षिक विवरण, प्रपत्र-24 में लाइसेन्स अधिकारी को प्रेषित नहीं किया गया है।

निरीक्षण हेतु व्यापक चेकलिस्ट

वतन भुगतान अधिनियम-1936 एवं सपठित उत्तर प्रदेश नियमावली-1936

क्र०	विवरण
1.	धारा-5 के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि में वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
2.	धारा-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मचारियों को बैंक चेक/एन0ई0एफ0टी0/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से भुगतान नहीं किया गया है।
3.	धारा-7 के प्राविधानों के विपरीत, कर्मचारियों के वेतन से अवैधानिक कटौती की गयी है।
4.	धारा-8(2) के अन्तर्गत, ऐसे कृत्यों एवं त्रुटियों, जिनके लिए जुर्माना लगाया जाना है, की सूचना प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं की गयी है।
5.	धारा-8(3) के प्राविधानों के विपरीत, कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिये बगैर जुर्माना लगाया गया है।
6.	धारा-8(4) के प्राविधानों के विपरीत, कर्मचारियों को एक वेतन कालावधि के लिये देय वेतन के 03 प्रतिशत से अधिक जुर्माने का अधिरोपण किया गया है।
7.	धारा-8(6) के प्राविधानों के विपरीत, कर्मचारियों पर अधिरोपित जुर्माना:- ○किस्तों में वसूल किया गया है। ○जुर्माना अधिरोपित किये जाने के 90 दिनों के उपरान्त वसूल किया गया है।
8.	धारा-9(2) के प्राविधानों के विपरीत, कर्मचारियों के वेतन से, उनकी अनुपस्थिति के अनुपात से अधिक वेतन की कटौती की गयी है।
9.	धारा-10(1) के प्राविधानों के विपरीत, कर्मकार से हुई क्षति एवं हानि से अधिक धनराशि की कटौती की गयी है।
10.	धारा-10(1-ए) के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मकार से हुयी क्षति एवं हानि के लिये कटौती करने के पूर्व कर्मकार को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है।
11.	धारा-11 के प्राविधानों के विपरीत :- ○ कर्मचारियों द्वारा गृहवास सुविधा या किसी सेवा को स्वीकार न करने के बावजूद, इन सेवाओं के सापेक्ष कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गयी है। ○ प्रदत्त गृहवास सुविधा या किसी सेवा के मूल्य से अधिक, कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गयी है।
12.	धारा-12(ए) के प्राविधानों के विपरीत, नियोजन के आरम्भ होने के पूर्व दी गयी अग्रिम धनराशि की वसूली, नियत कालावधि के उपरान्त की गयी है।
13.	धारा-12(बी), नियम-17 के प्राविधानों के विपरीत, कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम की वसूली की गयी है।
14.	धारा-13ए(1), नियम-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत:- ○ नियम-3 के अनुसार प्रपत्र-1 में जुर्माने का रजिस्टर नहीं रखा गया है। ○ नियम-4 के अनुसार प्रपत्र-2 में क्षति एवं हानि के सापेक्ष की गयी कटौती का रजिस्टर नहीं रखा गया है। ○ नियम-5 के अनुसार वेतन रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया है। ○ नियम-17(3) के अनुसार प्रपत्र-3 में एडवॉन्स रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया है।
15.	धारा-13ए(2)के प्राविधानों के अन्तर्गत, रजिस्टर/ अभिलेखों को निर्धारित अवधि हेतु संरक्षित नहीं रखा जा रहा है।
16.	धारा-14(4)(डी), नियम-6ए के प्राविधानों के अन्तर्गत, अधिनियम एवं नियमावली में प्राविधानित रजिस्टर व अभिलेखों को निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
17.	धारा-14ए के प्राविधानों के अन्तर्गत, निरीक्षक को, निरीक्षण हेतु वॉछित सुविधाए प्रदान नहीं की गयी हैं।
18.	धारा-25, नियम-22 के प्राविधानों के अन्तर्गत, प्रतिष्ठान में अधिनियम का सारांश, अंग्रेजी एवं हिन्दी में प्रपत्र-5 पर प्रदर्शित नहीं किया गया है।
19.	नियम-6बी के प्राविधानों के अन्तर्गत, प्रपत्र-6 में, कर्मकारों को देय वेतन की दरें, प्रतिष्ठान में सहज दृश्य वाले स्थानों पर प्रदर्शित नहीं की गयी हैं।
20.	नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत, वेतन भुगतान के समय को, प्रतिष्ठान में सहज दृश्य वाले स्थान पर प्रदर्शित नहीं किया गया है।
21.	नियम-18 के अन्तर्गत, प्रपत्र-4 में वार्षिक रिटर्न प्रेषित नहीं किया गया है।

निरीक्षण हेतु व्यापक चेकलिस्ट

उपादान संदाय अधिनियम, 1972 एवं उत्तर प्रदेश उपादान संदाय नियमावली, 1975

क्र०	विवरण
1.	धारा-4(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मचारियों को देय उपादान की गणना उचित प्रकार से नहीं की गयी है।
2.	धारा-7(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत:- <ul style="list-style-type: none"> ○ आगणित उपादान की धनराशि से सम्बन्धित लिखित सूचना कर्मचारी/कर्मचारियों को नहीं दी गयी है। ○ आगणित उपादान की धनराशि की सूचना नियंत्रक प्राधिकारी को नहीं दी गयी है।
3.	धारा-7(3) के अन्तर्गत, में कर्मचारी/कर्मचारियों को उपादान का संदाय होने के 30 दिनों के अन्दर उपादान का भुगतान नहीं किया गया है।
4.	धारा-7बी(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मचारियों को संदेय उपादान से सम्बन्धित रजिस्टर/अभिलेख/सूचना एवं अन्य दस्तावेज, निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।
5.	नियम-3 के अन्तर्गत:- <ul style="list-style-type: none"> ○ उपनियम(1) के अनुसार, अधिनियम के लागू होने के 30 दिन के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को प्रपत्र-ए में सूचना नहीं दी गयी है। ○ उपनियम(2) के अनुसार, प्रतिष्ठान के नाम, पता आदि में हुये परिवर्तन की सूचना प्रपत्र-बी में नियंत्रक प्राधिकारी को नहीं दी गयी है। ○ उपनियम(3) के अनुसार, प्रतिष्ठान के बंद हो जाने की सूचना प्रपत्र-सी पर, नियंत्रक प्राधिकारी को नहीं दी गयी है।
6.	नियम-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत, अधिनियम से सम्बन्धित नोटिस प्राप्त करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम, हिन्दी एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, प्रतिष्ठान में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित नहीं किया गया है।
7.	नियम-6(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत, कर्मचारियों से प्राप्त प्रपत्र-एफ को प्रमाणित करके (नामांकन के प्रमाणस्वरूप) अभिलेखों में संरक्षित नहीं किया गया है।
8.	नियम-8(1)(i) के अन्तर्गत, उपादान के दावे को ग्राह्य पाये जाने पर, आवेदन के 15 दिन के भीतर :- <ul style="list-style-type: none"> ○ आवेदक को प्रपत्र-एल में सूचना नहीं दी गयी है। ○ उसकी प्रति नियंत्रक प्राधिकारी को पृष्ठाकित्त नहीं की गयी है।
9.	नियम-8(1)(ii) के अन्तर्गत, उपादान के दावे को ग्राह्य नहीं पाये जाने पर, आवेदन के 15 दिन के भीतर :- <ul style="list-style-type: none"> ○ आवेदक को प्रपत्र-एम में सूचना नहीं दी गयी है। ○ उसकी प्रति नियंत्रक प्राधिकारी को पृष्ठाकित्त नहीं की गयी है।
10.	नियम-20 के अन्तर्गत, प्रतिष्ठान में सहज दृश्य वाले स्थान पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में अधिनियम एवं नियमावली का सारांश प्रदर्शित नहीं किया गया है।

निरीक्षण हेतु व्यापक चेकलिस्ट

मातृका हितलाभ अधिनियम-1961 एवं सपठित उत्तर प्रदेश नियमावली-1983

क्र०	विवरण
1.	धारा-4(1) के प्राविधानों के विपरीत, महिला कर्मकार को प्रसव/गर्भपात/गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के उपरान्त 06 सप्ताह के दौरान नियोजित किया गया है।
2.	धारा-5(3) के प्राविधानों के अन्तर्गत, महिला कर्मकार को 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश नहीं दिया गया है।
3.	धारा-5(3) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत, महिला कर्मकार को 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश नहीं दिया गया है।
4.	धारा-5(3) के द्वितीय एवं तृतीय परन्तुक, सपठित धारा-7, नियम-5 के प्राविधानों के अन्तर्गत, महिला कर्मचारी की प्रसव की अवधि के दौरान मृत्यु होने पर, उसके द्वारा नामानिर्देशित व्यक्ति अथवा विधिक प्रतिनिधि को प्रसूति प्रसुविधा का संदाय नहीं किया गया है।
5.	धारा-5(4) के अन्तर्गत, दत्तक माता अथवा कमीशनिंग माता को 12 सप्ताह का, प्रसूति प्रसुविधा का संदाय नहीं किया गया है।
6.	धारा-6(5) के अन्तर्गत, महिला कर्मकार को प्रसूति प्रसुविधा के लिए अग्रिम एवं प्रसव के उपरान्त धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।
7.	धारा-8 के अन्तर्गत, महिला कर्मकार को नियमानुसार चिकित्सा बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।
8.	धारा-09, नियम-5 के अन्तर्गत, गर्भपात/गर्भ के चिकित्सीय समापन की स्थिति में महिला कर्मकार को 6 सप्ताह का सवेतन अवकाश नहीं दिया गया है।
9.	धारा-9क के अन्तर्गत ट्यूबक्टोमी आपरेशन की स्थिति में महिला कर्मकार को, दो सप्ताह का सवेतन अवकाश प्रदान नहीं किया गया है।
10.	धारा-10, नियम-5 के अन्तर्गत, महिला कर्मकार को गर्भावस्था, प्रसव, समय पूर्व शिशु जन्म या गर्भपात से पैदा होने वाली रूग्णता के लिए अतिरिक्त सवेतन अवकाश प्रदान नहीं किया गया है।
11.	धारा-11, नियम-6 के अन्तर्गत, प्रसूता स्त्री का, विश्राम अन्तराल के अतिरिक्त, शिशु के पोषण के हेतु दो विराम अन्तराल प्रदान नहीं किये जा रहे हैं।
12.	धारा-11क(1) के अन्तर्गत, 50 या अधिक कर्मकार नियोजित होने पर, शिशु गृह की व्यवस्था नियमानुसार नहीं की गयी है।
13.	धारा-11क(1) के परन्तुक के अन्तर्गत महिला कर्मकार को अपने शिशु की देखभाल के लिए दिन में चार बार शिशु गृह जाने की सुविधा नहीं दी जा रही है।
14.	धारा-11क(2) के अन्तर्गत, महिला कर्मकारों की नियुक्ति के समय, अधिनियम के अनुसार देय हितलाभों के सम्बन्ध में, उन्हें लिखित व इलेक्ट्रानिकी रूप से अवगत नहीं कराया गया है।
15.	धारा-19, नियम-15 के अन्तर्गत, प्रपत्र-‘के’ में अधिनियम का सांराश हिन्दी एवं अंग्रेजी में सहज दृश्य स्थान में प्रदर्शित नहीं किया गया है।
16.	धारा-20, नियम-3 के अन्तर्गत, महिला कर्मकारों से सम्बन्धित मस्टर रोल, प्रपत्र-ए पर नहीं बनाया गया है।
17.	धारा-20, नियम-14 के अन्तर्गत, अभिलेखों को निर्धारित अवधि के लिये संरक्षित नहीं किया गया है।
18.	धारा-22 के अन्तर्गत, निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर, निर्धारित रजिस्टर/अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
19.	नियम-16 के अन्तर्गत प्रपत्र एल, एम, एन एवं ओ में वार्षिक रिटर्न प्रेषित नहीं किया गया है।

निरीक्षण हेतु व्यापक चेकलिस्ट
बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, एवं नियमावली, 1975

क्र०	विवरण
1.	प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादन/विक्रय/सेवा प्रारम्भ करने की तिथि:-1. माह/वर्ष. 2.. अवगत नहीं कराया गया।
2.	लाभ कब से प्रारम्भ हुआ:- 1. वित्तीय वर्ष. 2.. अवगत नहीं कराया गया।
3.	लेखा वर्ष, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है:- 1. 2021-22 2. 2022-23 3.2023-24 4. 2024-25 5 आदि
4.	<ul style="list-style-type: none"> ○ बोनस भुगतान हेतु पात्र कर्मचारियों की संख्या:-1.(संख्या हेतु बाक्स) 2. अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ○ बोनस से लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या:- 1.(संख्या हेतु बाक्स) 2. अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ○ कर्मचारियों की संख्या, जिन्हे बोनस का भुगतान नहीं किया गया:- 1.(संख्या हेतु बाक्स) 2. अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
5.	सेवायोजक द्वारा किये गये बोनस के भुगतान की तिथि:- 1.(तिथि हेतु बाक्स) 2. अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
6.	सेवायोजक द्वारा दिये गये बोनस की कुल धनराशि (रु० में):-1. (धनराशि हेतु बाक्स) 2. अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
7.	बोनस भुगतान की नियमानुसार देय दर:- 1. (दर हेतु बाक्स-प्रतिशत में) 2. अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
8.	सेवायोजक द्वारा किये गये बोनस भुगतान की दर:- 1. (दर हेतु बाक्स-प्रतिशत में) 2. अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
9.	धारा-2(1)(iii)(बी) के विपरीत, वित्तीय वर्ष को, प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना परिवर्तित किया गया है।
10.	धारा-4(बी) के अन्तर्गत, सकल लाभ की गणना, द्वितीय अनुसूची के अनुसार नहीं की गयी है।
11.	धारा-5 के अन्तर्गत, अवलेबल सरप्लस की गणना नहीं की गयी है।
12.	धारा-8 के अन्तर्गत, पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।
13.	धारा-10 के अन्तर्गत, कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।
14.	धारा-11 के अन्तर्गत, कर्मचारियों को अधिकतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।
15.	धारा-12 के अन्तर्गत, कर्मचारियों को देय बोनस हेतु, मासिक वेतन की गणना उचित प्रकार से नहीं की गयी है।
16.	धारा-13 के विपरीत, कर्मचारियों को आनुपातिक बोनस से कम बोनस का भुगतान किया गया है।
17.	धारा-14 के अन्तर्गत, काम के दिनों की संगणना उचित प्रकार से नहीं की गयी है।
18.	धारा-15, नियम-4 के अन्तर्गत, एलोकैबल सरप्लस के सेट ऑन व सेट ऑफ की गणना उचित प्रकार से नहीं की गयी है।
19.	धारा-16 (1-ए) के अन्तर्गत प्रतिष्ठान के आवर्त होने पर भी, नियमानुसार बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।
20.	धारा-17 के अन्तर्गत, कर्मचारियों को दिये गये, रूढ़िगत या अंतरिम बोनस का समायोजन उचित प्रकार से नहीं किया गया है।
21.	धारा-19 के अन्तर्गत, निर्धारित तिथि तक, बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।
22.	धारा-26 के अन्तर्गत:- <ul style="list-style-type: none"> ○ नियम-4(ए) के अनुसार प्रपत्र-ए का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। ○ नियम-4(बी) के अनुसार प्रपत्र-बी का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। ○ नियम-4(सी) के अनुसार प्रपत्र-सी का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। ○ नियम-5 के अनुसार प्रपत्र-डी में वार्षिक विवरण प्रेषित नहीं किया गया है।
23.	धारा-27(4) के अन्तर्गत, निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
24.	धारा-31ए के अन्तर्गत, नियमानुसार बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।